

विवरण

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार बुध जोहन खरिया को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के कीर्ति श्री प्रस्तुत नहीं द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम कुन्दुरमुण्डा खाता नं० २२५ रकबा - १.२६ रकबा का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान कीर्ति श्री व्यक्ति प्रस्तुत नहीं द्वारा है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त रजस्व की रसीद प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी II में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार खेसरा संख्या दर्ज नहीं है। रा०उ०नि० एवं अं०नि० ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशांसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बुध जोहन खरिया, पिता - बुखन खरिया ग्राम कुन्दुरमुण्डा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
<u>कुन्दुरमुण्डा</u>	<u>64</u>	<u>224</u>	<u>-</u>	<u>1.26 रकबा</u>

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा० दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
बालेबा 21

अंचल अधिकारी,
बालेबा 21